राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती संजना आगरी, सदस्य, विधान सभा, ग्राम बिराटियाकलां पंचायत समिति, रायपुर, जिला-पाली को तहसील-रायपुर स्थित झीलमिल बांध से जलापूर्ति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, राज्य में आधार कार्ड बनाने में जनता को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

ऊर्जा विभाग

1- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि-93 दिनांक 21.6.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया हैं ;

2- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि-94 दिनांक 31.8.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टेरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में संशोधन किया गया हैं ;

3- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि-95 दिनांक 12.10.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाता (ओ) की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 विरचित किये गये हैं ; एवं

4- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि-96 दिनांक 20.11.2012, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया हैं ।

जारी..2..

(ख) वार्षिक लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्यमंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2011-2012 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य, विधान सभा, कस्बा नदबई (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

II- श्री अर्जुन लाल, सदस्य, विधान सभा, बजट घोषणा 2013-2014 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

III- श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा, मांडलगढ़ स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

IV- श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

1- अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नम्बर-14 अशोक विहार कॉलोनी में गली नं0 3,4,5 एवं 6 में सीसी रोड़ बनाने बाबत् ; एवं

2- अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगवाने बाबत् ।

V- श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

1- विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में राज्य सरकार द्वारा अण्डरब्रिज स्वीकृत करने बाबत् ; एवं

2- तहसील रामगंजमण्डी, कोटा के सुकेत कस्बे को नगरपालिका घोषित करने बाबत् ।

5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री प्रकाश चन्द चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2012-2013, समिति के दसवें एवं ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..3..

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास
3.	50- ग्रामीण रोजगार

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 19 मार्च, 2013